INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

29

Certificate No.	:	IN-UP25274034894289V
Certificate Issued Date	:	03-Feb-2023 04:43 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14554004/ SARDHANA/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1455400444272457343615V
Purchased by	:	TRUST SAMADHI SHRI GURU MANDIR NANGLI SAHIB
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	TRUST SAMADHI SHRI GURU MANDIR NANGLI SAHIB
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	TRUST SAMADHI SHRI GURU MANDIR NANGLI SAHIB
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

POONAM RANI SARDHANA MEERUT UP14554004

E-STAMP S.R. SARDHANA
VERIFIED ---------- RC
...ED ---------- S.R. SARDHANA

IN-UP25274034894289V

Please write or type below this line

आचार्य शब्दानन्द

ब्रह्म धर्मानन्द

JD 0031470566

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

सत्यमेव जयते

श्री सद्गुरूदेवाय नमः
ट्रस्ट समाधि–श्री गुरूमंदिर नंगली साहिब
पो0 नंगली साहिब, तहसील–सरधना, जि0–मेरठ (उ0प्र0)
का ट्रस्ट डीड (डिक्लेयरेशन)

उपनिबंधक, सरधना (मेरठ), दिनांक 04.02.2023

हम,

(i) स्वामी सत्यानन्द पुरी, वर्तमान **प्रधान/अध्यक्ष**–ट्रस्ट समाधि–श्री गुरूमंदिर नंगली साहिब, शिष्य श्री अंनत प्रकाशानन्द पुरी, निवासी श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम अबोहर (पंजाब)।

(ii) स्वामी अभेद सेवानन्द पुरी, **उपप्रधान**, शिष्य श्री स्वामी अजूनियानन्द पुरी जी निवासी गुरू मंदिर नंगली साहिब, नगंली आजड सलेमपुर, त0 सरधना, जि0 मेरठ।

(iii) सन्त आधार शब्दानन्द, **महासचिव**, शिष्या स्वामी सारशब्दानन्द पुरी, W–9 राजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली।

(iv) स्वामी ब्रह्म धर्मानन्द, **सचिव**, शिष्य स्वामी विवेक सुखा नन्द जी, गुरू मंदिर नंगली साहिब, नगंली आजड सलेमपुर, त0 सरधना, जि0 मेरठ।

(v) स्वामी सुख धर्मानन्द, **कोषाध्यक्ष**, शिष्य श्री स्वामी अन्नत प्रकाशानन्द पुरी निवासी 422/22 श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, राजेन्द्र नगर, थानेसर, कुरूक्षेत्र (हरियाणा)

(vi) स्वामी पूर्णानन्द पुरी जी, **संयुक्त सचिव**, शिष्य स्वामी परमं ज्ञानानन्द पुरी जी महाराज, श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, रांची (झारखण्ड)

एतद्द्वारा सत्य कथन करते हैं कि

(1) सद्गुरूदेव भगवान ब्रह्मलीन श्री 108 स्वामी स्वरूपानन्द पुरी जी महाराज के समाधि मंदिर एवं मठ श्री नंगली साहिब, तह0 सरधना, परगना–दौराला, जि0–मेरठ के संचालन एवं देखरेख के लिए एक पब्लिक ट्रस्ट सर्वप्रथम दि0 08.05.1945 को सब रजिस्ट्रांर, सरधना के यहाँ रजि0 सं0 512, बही नं0 1, जिल्द संख्या 481, पृष्ठ 20 के अधीन निबंधित हुआ था। ट्रस्ट के प्रथम प्रधान/अध्यक्ष ब्रह्मलीन श्री स्वामी निजात्मानन्द जी महाराज थे। उनके अतिरिक्त श्री गुरू महाराज जी के 14 वरिष्ठ संत/महात्मा ट्रस्टी थे।

(2) पुनः ट्रस्ट का नवीकरण दि0 16.02.1974, बही नं0 1, जिल्द 102 सफे 55/59 असल दस्तावेज न0 322, मुसन्ना दस्तावेज न0 323 को सब रजिस्ट्रार, तहसील सरधना के अधीन किया गया था। यह नवीनीकरण ट्रस्ट के महासचिव ब्रह्मलीन श्री स्वामी विवेकसुखानन्दजी महाराज ने कराया था।

(3) पुनः ट्रस्ट का नवीकरण दि0 24.10.2007 , बही नं0 4, खण्ड–79 के पृष्ठ 263/306 पर क्रम संख्या–67 पर सब रजिस्ट्रार, कार्यालय तहसील सरधना के अधीन किया गया था।

आधार शब्दानन्द

ब्रह्म धर्मानन्द

PHOTO ATTESTED

Pradeep Kumar ,agi
Deed riter
Sardhana (Meerut)

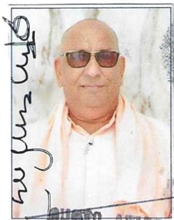

PHOTO ATTESTED

Pradeep Kumar yagi
Deed riter
Sardhana (Meerut)

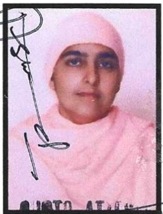

PHOTO ATTESTED

Pradeep Kumar yagi
Deed riter
Sardhana (Meerut)

PHOTO ATTESTED

Pradeep Kumar ,agi
Deed riter
Sardhana (Meerut)

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

ट्रस्ट का नामः— ट्रस्ट समाधि श्री गुरू मंदिर नंगली साहिब नगली आजड़ सलेमपुर, त0 सरधना, जि0—मेरठ।

श्री गुरू मंदिर नंगली साहिब ट्रस्ट एवं मठ की व्यवस्था तब से अब तक सुव्यवस्थित रूप से चली आ रही है। उपर्युक्त ट्रस्टियों में से किसी के देहान्त हो जाने के कारण उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष ट्रस्टियों की सहमती से की जाती है।

(4) **वर्तमान में हम छः न्यासकर्ताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 9 ट्रस्ट के सदस्य हैं:—**

(i) स्वामी ब्रह्मानन्द पुरी जी, शिष्य स्वामी अनन्त प्रकाशानन्द जी, गुरू मंदिर नंगली साहिब, नगंली आजड, सलेमपुर, त0 सरधना, जि0 मेरठ।

(ii) स्वामी शिव प्रेमानन्द जी, शिष्य स्वामी गुरू प्रेमानन्द जी महाराज, 17/52 नई बस्ती, आनन्द पर्वत, करोल बाग, सेन्ट्रल दिल्ली।

(iii) संत अभेद सागरा नन्द जी, शिष्या सन्त कृष्णानन्द जी, कढ़ली, सतगुरू नगर जि0—मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)

(iv) स्वामी ध्यान प्रेमानन्द जी, शिष्य सन्त विचार प्रेमा नन्द जी, 227 वॉर्ड न0 1 श्री अद्वैत स्वरूप विचार आश्रम मंदिर, फतेहाबाद, (हरियाणा)

(v) स्वामी अभेद योगानन्द जी, शिष्य स्वामी अजुनियानन्द जी, नंगली आजड़ सलेमपुर, त0 सरधना जि0—मेरठ (उ0प्र0)

(vi) स्वामी अलखानन्द पुरी, शिष्य स्वामी परम ज्ञाना नन्द पुरी जी, ग्राम हल्दुआशाहू, पोस्ट— शिवराजपुर, हल्दुआशाहू, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

(vii) महात्मा दयाल शरणानन्द जी, शिष्य स्वामी सतगुरू दयानन्द जी, 58ए0 श्री सतगुरू दयाल मंदिर, टान्डी (नगली साहिब) सरधना, जि0—मेरठ (उ0प्र0)

(viii) संत दिव्यानन्द सत्यार्थी, शिष्या स्वामी केशवानन्द सत्यार्थी जी, 9/3790 राजयोग मंदिर, शांति मोहल्ला, रघुबर पुरा नं0—2, गाँधी नगर, पूर्वी दिल्ली।

(ix) स्वामी उदयात्मा नन्द जी, शिष्य स्वामी आत्म रामानन्द, राम विचार वाटिका छोटा बाँस, रादौर (रूरल), यमुना नगर, (हरियाणा)

(5) नंगली ग्राम मे स्थित महात्माओं के समाधि—मंदिर आश्रम आदि जिनकी स्वतंत्र संचालन व्यवस्था है फिर भी वे पूजा—प्रार्थना और भावनात्मक रूपों से मुख्य श्री गुरू मंदिर/मठ से सम्बद्ध हैं।

(a) श्री निजात्म स्मारक मंदिर—सम्मुख।
(b) श्री सार निवास।
(c) श्री स्वामी गुरूप्रेमानन्द जी महाराज का परिसर।
(d) श्री स्वामी सारशब्दानन्द जी महाराज का परिसर।
(e) श्री स्वामी परमज्ञानानन्द जी महाराज का परिसर।
(f) श्री स्वामी अनन्तप्रकाशानन्द जी महाराज का परिसर।
(g) श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज एवं श्री स्वामी अजुनियानन्द जी महाराज का परिसर।

आत्मा[illegible]ब्रह्मानन्द [illegible]

(h) श्री स्वामी रामानन्द सत्यार्थी जी महाराज का आश्रम एवं सत्यार्थी मिशन।

(i) श्री स्वामी दयालशब्दानन्द जी महाराज का आश्रम एवं दयाल मंदिर।

(j) स्वामी विवेकसुखानन्द जी महाराज, श्री संत दयालकृष्णानन्द जी महाराज एवं श्री संत दयालरामानन्द जी महाराज द्वारा संस्थापित सद्गुरूनगर आश्रम ट्रस्ट (मुख्यतः साध्वी/संतों द्वारा संचालित)

(k) सार साधना मंदिर, निजात्म सार सेवा सदन, स्वामी गुरू–शरण समाधि मंदिर (कॉलोनी) आदि।

(l) परमहंस स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज चैरिटैबल हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर।

(m) श्री अनामी स्थान, श्री स्वामी शुद्धात्मानन्द जी महाराज का समाधि–मंदिर।

(n) श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी का आश्रम।

(o) श्री स्वामी सारविवेकानन्द जी का आश्रम।

(p) संत गुरूसेवानन्द जी (माया बहन जी) पंचकूला वालों का आश्रम।

(q) श्री स्वामी सत्यानन्द जी का आश्रम।

(r) श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी पठानकोटवालों का श्रद्धाधाम आश्रम।

(s) श्री स्वामी अभेद सेवानन्द जी का आश्रम।

(t) श्री स्वामी अलखानन्द जी का आश्रम।

(u) श्री स्वामी अभेदयोगानन्द जी का आश्रम।

(v) स्वामी विचारआत्मानन्द जी का आश्रम।

(w) स्वामी गुरू श्रद्धानन्द जी का आश्रम।

(x) स्वामी सच्चिदानन्द 'दिवाना' जी का आश्रम।

(y) स्वामी ज्ञानशब्दानन्द जी का मंदिर।

(z) स्वामी शब्दयोगानन्द जी (लुधियाना वाले) का आश्रम।

(aa) स्वामी ज्ञानदर्शनानन्द जी का आश्रम।

(ab) सन्त दयाल पूर्णानन्द जी (अलवर वाले) का आश्रम।

(ac) स्वामी शिवज्ञानानन्द जी का आश्रम।

(ad) स्वामी शुद्धप्रेमानन्द जी का आश्रम।

(ae) स्वामी धर्मानन्द जी का आश्रम।

(af) स्वामी महेशानन्द जी (रावाकुटी) का आश्रम।

(ag) संत साध्वी सत्प्रेमानन्द जी (बटालेवाली सतीश बहन जी) का आश्रम।

(ah) श्री अद्वैत स्वरूप ग्लोबल स्कूल, ग्राम व पोस्ट नगंली आजड, सलेमपुर, त0 सरधना, जि0 मेरठ।

(6) काफी दिनों से ऐसा महसूस किया जाता रहा है कि समाधि–मंदिर और मठ की विधिवत नियमावली होनी चाहिए ताकि इसकी संचालन–व्यवस्था ठीक ढ़ंग से चल सके। इसके अतिरिक्त मठ–मंदिर में रह रहे साधु/साध्वी/संन्यासी/भक्त/जीवनदानियों के पालन हेतु भी नियम बनाये जायें तथा उसे ट्रस्ट के तहत विधिवत् निबन्धित कराया जाये जो समय पर काम आयें।

(7) ट्रस्ट की विशेष बैठक जो कि 29.12.2022 को श्री गुरू मंदिर नंगली साहिब में सम्पन्न हुई। उसमें उपस्थित ट्रस्टियों ने सर्वसम्मति से स्कूल के कार्य आदि के लिए ट्रस्ट के पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रस्ट के सी0ए0 को अधिकृत किया।

<u>नियमावली का प्रारूप इस आवेदन के साथ नियमानुसार संलग्न है।</u>

श्री गुरू मन्दिर ट्रस्ट/मठ की नियमावली

नियम 1– ट्रस्ट समाधि–श्री गुरू मन्दिर ट्रस्ट/मठ के उद्देश्य (Aims and Objects)

(i) परम श्रद्धेय दादा गुरूदेव श्री परमहंस दयाल श्री 108 स्वामी अद्वैतानन्द पुरी जी महाराज एवं परम आराध्य सद्‌गुरूदेव श्रीमत् 108 स्वामी स्वरूपानन्द पुरी जी महाराज द्वारा सनातन संन्यास–परम्परा के अनुरूप उपदिष्ट और प्रचारित सुर्त–शब्दयोग, सेवा, प्रेम, सदाचार और ईश्वर–भक्ति की साधना का प्रचार–प्रसार करना।

(ii) जाति–वर्ण, भाषा, लिंग अथवा भेष–देश के सभी भेदमूलक भावों से ऊपर उठकर मानवमात्र का कल्याण करना।

(iii) आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी संस्थाओं को स्थापित करना तथा श्री अद्वैत स्वरूप ग्लोबल स्कूल, ग्राम व पोस्ट नगंली आजड सलेमपुर, त0 सरधना, जि0–मेरठ के हित में कार्य करना।

(iv) अनाथालय, औषधालय आदि की स्थापना कर उपेक्षित, अभावग्रस्त, रूग्ण तथा आश्रयहीन लोगों की सहायता करना।

(v) भूकम्प, बाढ़, अकाल, महामारी अथवा अन्य राष्ट्रीय आपदाओं की घड़ी में जनसहायतार्थ के विविध कार्य संचालित करना।

(vi) लोगों के आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक उन्नयन के लिए साहित्य तथा पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

(vii) देश अथवा विदेश में कहीं भी अपने मत–पंथ और गुरूओं के उपदेशों के प्रचार–प्रसार के लिए संस्थाओं, आश्रमों अथवा मठ–मंदिरों का निर्माण करना।

(viii) संस्था/मठ के उपर्युक्त उद्देश्यों के संवहन अथवा संवर्धन के लिए कोई भी अपेक्षित/आवश्यक कार्य सम्पन्न करना।

(ix) मठ के उपर्युक्त उद्देश्यों के समान उद्देश्यों वाली किसी भी संस्था को आर्थिक सहयोग, दान, चंदा प्रदान करना।

नियम 2– ट्रस्ट समाधि– श्रीगुरू मंदिर प्रबन्धन की दो प्रकार की समितियाँ होंगी।

(i) **महासभा (General Body)**

(i) **ट्रस्ट समिति (Trust Committee)**

महासभा (General Body)

महासभा में कुल ट्रस्टियों के अतिरिक्त नामजद संन्यासी/ साध्वी/ ब्रह्मचारी/ जीवनदानी तथा सद्‌गृहस्थ शामिल होंगे। उनकी संख्या कम से कम 151 और अधिक से अधिक 251 तक होगी।

ट्रस्ट समिति (Trust Committee)

दरबार के वरिष्ठ और सुयोग्य संन्यासियों/साध्वियों की यह समिति संस्था के सम्पूर्ण संचालन , निर्देशन, नियम निर्धारण सभी प्रकार के खर्चों अथवा लेन–देन और उनके रख–रखाव आदि की जिम्मेदारी वहन करेगी। ट्रस्ट द्वारा लिये गये अनुशासन/संचालन सम्बन्धी निर्णय सबको मान्य होंगे।

ट्रस्ट समिति प्रत्येक पाँच वर्ष पर गठित की जायेगी। ट्रस्ट के सदस्यों की कुल संख्या 15 होगी। आवश्यकतानुसार यह संख्या महासभा की अनुंशसा द्वारा बढाई भी जा सकती है। ट्रस्ट के कार्यकाल को भी महासभा की अनुशंसा से आगे बढाया जा सकता है।

नियम 3– महासभा की सदस्यता

सदस्यता के अभ्यार्थी विहित प्रपत्र भरकर ट्रस्ट के समक्ष आवेदन करेंगे जिसे किसी ट्रस्टी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना जरूरी होगा। ट्रस्ट की मीटिंग में आवेदक की अर्हता और योग्यता पर विचार करने के उपरान्त उसे महासभा का सदस्य बनाया जायेगा।

ट्रस्ट की अनुमति के पश्चात मनोनित सदस्य द्वारा 1101/– रूपये को सदस्यता शुल्क अदा किये जाने के पश्चात सदस्य का नाम महासभा की सदस्यता–बही में दर्ज किया जायेगा।

सदस्यता से निष्कासन (Expulsion or Ceasation of Membership)

(i) मृत्यु अथवा त्याग पत्र देने पर (Resignation/Death)

(ii) पागल अथवा दिवालिया घोषित होने पर (Insanity/Insolvency)

(iii) सदस्यता–शुल्क की गैरअदायगी पर (Non-payment of Membership fee)

(iv) बिना किसी पूर्व सूचना अथवा संतोषप्रद कारण के ट्रस्ट की लगातार (Consecutive) चार तथा महासभा की दो बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

(v) ट्रस्ट समिति द्वारा किसी अनुशासनहीनता अथवा अमर्यादित/अनैतिक आचरण में लिप्त साबित होने पर सम्बन्धित सदस्य से नियत समय के अन्दर लिखित स्पष्टीकरण माँगा जायेगा। समय के भीतर स्पष्टीकरण नही प्रस्तुत करने अथवा ट्रस्ट समिति द्वारा उस स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाये जाने पर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(vi) किसी सदस्य के किसी प्रकार के कदाचार या अनैतिक आचरण के लिए न्यायालय द्वारा दोषी अथवा सजावार साबित होने पर भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

नियम 4– महासभा के कार्य

(i) ट्रस्ट समिति द्वारा पेश किये गये नियमावली के प्रारूप अथवा उनके संसोधन परिवर्तन अथवा विखण्डन पर बहुमत द्वारा सहमति व्यक्त करना।

(ii) ट्रस्ट समिति द्वारा पेश किये गये वार्षिक आय–व्यय के प्रारूप का अनुमोदन करना तथा भावी बजट की स्वीकृति देना।

(iii) ट्रस्ट समिति के सदस्यों/अध्यक्ष का निर्वाचन करना।

(iv) महासभा ट्रस्ट समिति पर महाभियोग ला सकती है। वह अध्यक्ष के पास आपातकालीन विशेष बैठक बुलाने के लिये कुल सदस्यों के दो–तिहाई हस्ताक्षर द्वारा आवेदन कर सकती है।

(v) ट्रस्ट समिति द्वारा पेश किये गये पचीस लाख रूपये से अधिक के बजट की स्वीकृति महासभा देगी।

(vi) संस्था के किसी अचल सम्पत्ति के निष्पादन, क्रय, लीज, बंधक या बदलैन के लिए महासभा ट्रस्ट समिति के लिए अध्यक्ष के साथ किन्ही दो ट्रस्टियों को अधिकृत करेगी।

नियम 5– ट्रस्ट समिति के कार्य एवं अधिकार

(i) संस्था सम्बन्धी समस्त नियम–उपनियम बनाने, बदलने, रद्द करने आदि का प्रारूप तैयार करना।

(ii) ट्रस्ट समिति अपने निर्णय द्वारा किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है।

(iii) संस्था के कार्य–विशेष या दैनन्दिन कार्य के लिए किसी सदस्य को वैतनिक या अवैतनिक रूप से नियुक्त करना।

(iv) वह कोई उपसमिति/सेवा समिति/समितियाँ गठित कर उनके कार्य एवं अधिकार नियत करेगी।

(v) सेवा–समिति को सौपे गये विशेष कार्य के निष्पादन (disposal) के उपरान्त अथवा उसके कार्य–कलाप से असंतुष्ट होने पर ट्रस्ट सेवा–समिति को भंग भी कर सकती है। आवश्यकतानुसार सेवा–समिति को दूसरा कार्य सौंप सकती है अथवा उसके सदस्यों को निष्कासित/नवनियुक्त भी कर सकती है।
सेवा–समिति पूर्ण रूप से ट्रस्ट के निर्देशानुसार काम करेगी और कार्य की प्रगति तथा लेखा–जोखा ट्रस्ट समिति को समयानुसार सौंपेगी।

(vi) संस्था की सुव्यवस्था, अनुशासन, आमद–खर्च आदि व्यावहारिक तथा भावनात्मक समस्त मामलों का पूर्ण दायित्व ट्रस्ट समिति को होगा।

नियम 6– ट्रस्टी की योग्यता, उसके चुनाव और ट्रस्ट समिति का गठन

दरबार की आध्यात्मिक मान्यताओं और मर्यादाओं में दृढ़ आस्था रखनेवाला, सौम्य स्वभाव, गुरू–दरबार के आदर्शो का प्रचारक, विद्वान प्रभावशाली, चरित्रवान, सत्यनिष्ठ, श्री नंगली साहिब अथवा उसके बाहर किसी आश्रम का संचालन/अध्यक्ष जो कम से कम 10 वर्षो से दरबार का संन्यासी होगा वही दरबार का ट्रस्टी हो सकेगा।

ट्रस्ट समिति के सदस्य/सदस्यों एवं अध्यक्ष/प्रधान का चुनाव महासभा की विशेष बैठक में बहुमत के आधार पर होगा। ट्रस्टी एवं अध्यक्ष/प्रधान के लिये प्रस्तावित सदस्य/सदस्यों का नाम वर्तमान ट्रस्ट के सदस्य महासभा के समक्ष पेश करेंगे। ट्रस्ट समिति का सदस्य महासभा के सदस्यों में से ही कोई होगा।

आचार्य श्रद्धानन्द

चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर या विशेष परिस्थिति में उससे पहले किसी सम्माननीय महापुरूष की देखरेख में सम्पन्न होगा। उक्त पर्यवेक्षक की नियुक्ति ट्रस्ट समिति द्वारा की जायेगी। चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर पवित्र गुरू विग्रह को साक्षी रखकर किया जायेगा। पर्यवेक्षक का निर्णय सबको मान्य होगा।

ट्रस्टी (ट्रस्ट के सदस्य) वार्षिक शुल्क के रूप में 5100/– रूपये अदा करेंगे।

ट्रस्ट समिति के शेष पदाधिकारियों की नियुक्ति अध्यक्ष/प्रधान अपनी मर्जी से (विशेष परिस्थिति को छोडकर) प्रत्येक पाँच साल पर करेंगे।

इस प्रकार से ट्रस्ट समिति के गठन की सूचना महासभा के सदस्यों को देना आवश्यक होगां

नियम 7– ट्रस्ट समिति में निम्नलिखित छः पदाधिकारी होंगेः–

(i) अध्यक्ष (प्रधान) (President)
(ii) उपाध्यक्ष (उपप्रधान) (Vice-President)
(iii) महासचिव (Gen. Secretary)
(iv) सचिव (Secretary)
(v) संयुक्त सचिव (Joint Secretary)
(vi) कोषाध्यक्ष (Treasurer)

शेष 9 ट्रस्ट समिति के सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष संस्था के किसी कार्य–विशेष के लिए नियुक्त कर सकेंगे।

नियम 8– ट्रस्ट प्रधान/अध्यक्ष के अधिकार

(i) महासभा तथा ट्रस्ट समिति की बैठक की तिथि, स्थान, समय का निर्णय करना, महासचिव द्वारा पेश की गयी बैठक की कार्यवाही की अनुमति देना तथा बैठक बुलाने का आदेश प्रदान करना।
(ii) महासभा तथा ट्रस्ट समिति की बैठक की अध्यक्षता करना तथा अपनी अनुपस्थिति की हालत में किसी सदस्य को अध्यक्षता के लिए अधिंकृत (authorise) करना। सामान्य रूप से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपप्रधान महासभा/समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
(iii) ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नियुक्त करना तथा आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन करना।
(iv) महासचिव को ट्रस्ट के प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त निर्देश जारी करना।
(v) महासभा या समिति की बैठक में समान मतो की हालत में अपना निर्णायक मत प्रदान करनां
(vi) अध्यक्ष को महासभा/ट्रस्ट समिति के किसी निर्णय को रद्द करने अथवा उसे पुनर्विचार के लिए विशेष मीटिंग बुलाने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा।
(vii) ट्रस्ट समिति के कार्यकलाप से असंतुष्ट होने पर विशेषाधिकार द्वारा अध्यक्ष समिति को भंग कर उसे पुनर्गाठित कर सकते हैं।

(viii) ट्रस्ट प्रधान (अध्यक्ष) किसी भी सदस्य को सदस्यता शुल्क देने से मुक्त कर सकते हैं।

(ix) कोषाध्यक्ष के साथ ट्रस्ट समिति के बैंक खाते का संचालन करना।

उपाध्यक्ष के अधिकार

(i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा/समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(ii) अध्यक्ष की सहमति/अनुमति से संस्था का संचालन करेंगे।

नियम 9– महासचिव के अधिकार

(i) संस्था के सभी कार्य–कलापों के कार्यपालक–प्रधान (Executive head) महासचिव होंगे।

(ii) वे प्रधान की सहमति/अनुमति से संस्था का संचालन करेंगे।

(iii) बैठकों (Meetings) की सूचना सदस्यों को समयानुसार देंगे। सदस्यों द्वारा पेश किये गये किसी खास विषय को प्रधान के परामर्श से मीटिंग की कार्यवाही में शामिल करेंगे।

(iv) सचिव/संयुक्त सचिव को संस्था के कार्य का जिम्मा देंगे। कोषाध्यक्ष को उनके कार्य के लिए निर्देश देंगे तथा उनके कार्य–कलापों का समय–समय पर निरीक्षण (Inspection) भी करेंगे।

(v) ट्रस्ट की बैठकों की बही (Minute Book), समस्त लेखा–जोखा रजिस्टर–कागजात, बहियाँ महासचिव के अधीन रहेंगी।

(vi) संस्था से सम्बन्धित सभी मुकदमें अथवा पत्राचार महासचिव (Gen-Secretary) की तरफ से होंगे।

(vii) समय–समय पर हिसाबों के रख–रखाव के लिए लेखापाल, अंकेक्षक (accountant/auditor) की बहाली महासचिव करेंगे तथा ट्रस्ट समिति के अनुमोदन के लिए आय–व्यय का वार्षिक ब्योरा (Income-Expenditure reports) पेश करेंगे।

(viii) किसी सदस्य द्वारा बैठक की कार्यवाही का ब्योरा माँगे जाने पर उसे प्रदान करेंगे।

(ix) कोषाध्यक्ष के साथ ट्रस्ट के बैंक खाते का संचालन करना।

नियम 10– सचिव/संयुक्त सचिव (Secretary/Joint Secretary)

(i) महासचिव द्वारा जिस कार्य को उन्हें सौंपा जायेगा उसका सम्पादन करेंगे। महासचिव के संस्था संचालन सम्बन्धी समस्त कार्यकलापों में उनकी मदद करेंगे।

(ii) कोषाध्यक्ष के साथ ट्रस्ट के बैंक खाते का संचालन करना।

नियम 11– कोषाध्यक्ष (Treasurer)

(i) संस्था के लिए प्राप्त धन का रख–रखाव, हिसाब–किताब, लेना–देना सब कुछ महासचिव के परामर्श से कोषाध्यक्ष सम्पन्न करेंगे।

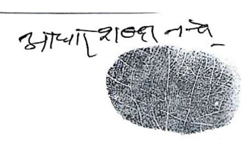

(ii) बैंक से पैसे निकालना/जमा करना, दान–दाताओं को उपयुक्त रसीद जारी करना तथा किसी खर्चे के लिए महासचिव के आदेशानुसार रकम प्रदान करना आदि कोषपाल के अधिकार में आयेंगे।

(iii) अध्यक्ष/महासचिव/सचिव के साथ ट्रस्ट समिति के बैंक खाते का संचालन करना।

नियम 12– महासभा एवं ट्रस्ट समिति की बैठक

सामान्य परिस्थिति में महासभा की बैठक साल में दो बार तथा प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में छः बार (प्रति दो माह पर) बुलाई जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समय से पहले भी बुलाई जा सकती है।

बैठक में सिर्फ सदस्य ही भाग लेंगे। किसी योग्य अथवा विशेष कार्य–क्षमतावाले सम्माननीय व्यक्ति को विचार–विमर्श के लिए ट्रस्ट द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। किन्तु आमंत्रित व्यक्ति को मत देने का अधिकार नही होगा।

महासभा की बैठक की सूचना दो माह पूर्व तथा ट्रस्ट समिति की मीटिंग दो सप्ताह पूर्व सम्बद्ध सदस्य को लिखित तौर पर निबंधित डाक कुरियर/स्पीडपोस्ट/इ–मेल/फैक्स आदि द्वारा अवश्य दी जायेगी। सूचना–पत्र में मीटिंग की कार्यवाही (Agenda) का जिक्र जरूर रहेगा।

कार्यवाही (Agenda) के अतिरिक्त किसी विषय को किसी सदस्य द्वारा उठाये जाने पर प्रधान/सभाध्यक्ष की अनुमति से ही उस पर विचार किया जा सकेगा। कोई सदस्य किसी प्रकार के विचारणीय विषय को लिखित तौर पर बैठक से पूर्व प्रधान/महासचिव को पेश करेगा जिसे उचित समझे जाने पर आगामी मीटिंग की कार्यवाही में शामिल किया जायेगा।

बैठक के स्थान, तिथि और समय का निर्धारण प्रधान/अध्यक्ष की सहमति से किया जायेगा जिसका उल्लेख सूचना–पत्र में जरूर रहेगा।

गणपूर्ति (Corum)

ट्रस्ट समिति का कोरम कुल सदस्यों के दो–तिहाई संख्या से तथा महासभा का कोरम कुल सदस्यों की एक–तिहाई संख्या द्वारा पूर्ण माना जायेगा। किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मीटिंग की कार्यवाही बाधित नही होगी। आवश्यक समझने पर प्रधान/सभाध्यक्ष मीटिंग स्थगित अथवा उसकी तिथि परिवर्तित कर सकते हैं।

नियम 13– ट्रस्ट समिति के अधीन अनेक समितियाँ होंगी।

(i) मंदिर–पूजा प्रबन्ध
(ii) लंगर प्रबन्ध
(iii) सुरक्षा प्रबन्ध
(iv) अर्थ व्यवस्था

(v) वाहन
(vi) गौशाला
(vii) खेती
(viii) भवन–निर्माण, मकानों की देखरेख
(ix) बिस्तर–बर्तन, सामान आदि भंडार–गृह की व्यवस्था
(x) प्रचार–प्रसार एवं प्रकाशन–व्यवस्था
(xi) सरकारी कार्यों की देखरेख
(xii) जेनेरटर, दूसरे यांत्रिक उपकरणों तथा बिजली/रोशनी की व्यवस्था
(xiii) विशेष त्योहारों, आयोजनों अथवा भंडारों की व्यवस्था
(xiv) सफाई व्यवस्था
इनके अतिरिक्त ट्रस्ट समिति आवश्यकतानुसार कार्य विशेष के लिये और भी समितियाँ गठित कर सकती है।

नियम 14– वित्त व्यवस्था

(i) सभी प्रकार के प्राप्त नगद धन को संस्था के बैंक खाते में जमा किया जायेगा। बैंक खाता 'ट्रस्ट समाधि श्री गुरूमंदिर नंगली साहिब' के नाम से होगा। उसका परिचालन (operation) महासचिव/सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।
50,000/– रूपये से अधिक के लिये ट्रस्ट की अनुमति तथा पचीस लाख रूपये से अधिक की निकासी के लिये महासभा की अनुमति आवश्यक होगी।
(ii) पैसों के रख–रखाव तथा लेन–देन के कार्य में कोषाध्यक्ष अपने विश्वस्त सदस्य अथवा ट्रस्ट द्वारा नियुक्त कर्मचारी की मदद ले सकेंगे जिसकी जानकारी महासचिव को भी होगी।
(iii) किसी प्रकार का दान–चन्दा अथवा आर्थिक सेवा महासचिव द्वारा जारी की गयी रसीद द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। रसीद कार्यालय में सदा उपलब्ध रहेगी। पैसे के लेन–देन के लिए महासचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा एक खजांची नियुक्त होगा। भण्डारे के अवसरों पर एक से अधिक सहयोगी काम करेंगे। सभी प्रकार के जमा रूपये कोषाध्यक्ष के पास यथाशीघ्र जमा कर दिये जायेंगे।
(iv) ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जायेगा।

नियम 15– प्रशासन विभाग (Administration)

(i) संस्था के एक प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासक (Administrator) होंगे जो ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। वे सेना के अवकाशप्राप्त अधिकारी भी हो सकते हैं। वे प्रधान/महासचिव अथवा ट्रस्ट के निर्णय को अनुपालन कराने में उनकी मदद करेंगे तथा उनके निर्देशानुसार काम करेंगे।
(ii) उनके अधीन कम से कम तीन या आवश्यकतानुसार उससे अधिक सुरक्षा–प्रहरी (Guard) होंगे जिनका खास पोशाक होगा। आम दिनों या विशेष अवसरों पर वे सुरक्षा–व्यवस्था की देख–रेख करेंगे।

नियम 16– प्रशासन–कार्यालय (Administrative-Office)

(i) संस्था का अपना कार्यालय होगा जहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे। उनके अलावा पत्राचार लिपिक, खजांची आदि भी वहाँ बैठकर अपने–अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। कार्यालय पूर्ण रूप से महासचिव के निर्देश से काम करेगा। समस्त पत्राचारों का ब्यौरा वहीं रखा जायेगा।

(ii) Computer, E-mail, Fax तथा टेलिफोन वहाँ सुलभ होंगे।

नियम 17– सभा भवन (Meeting Hall)

मंदिर/मठ का अपना सभा–भवन नियत होगा जिसमें कम से कम 250 कुर्सियों की व्यवस्था होगी। ट्रस्ट के सदस्य, प्रधान, महासचिव आदि की खास कुर्सियाँ होंगी। हॉल में दोनो महान गुरूओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होंगी तथा उनके सम्मुख सभी निर्वतमान बुजुर्गो/महापुरूषों के चित्र भी लगे होंगे।

सभी सदस्य और पदाधिकारी उनके समक्ष अपने कर्तव्य के पालन की शपथ लेंगे तथा संस्था के संरक्षण, संचालन से सम्बन्धित सभी निर्णय उन्ही महापुरूषों के आशीर्वाद की साया तले स्वीकार किये जायेंगे।

नियम 18– मठ/गुरू मंदिर में रहने वाले दो प्रकार के लोग होंगे

(i) संन्यासी/साध्वी **(Sanyasins/Saints)**

भगवा भेष में ये संत/साध्वी गुरू दरबार के आदर्शो–मर्यादाओं के विशेष जिम्मेदार होंगे। इनके आचरण/उपदेश और समस्त कार्यकलाप जनसामान्य अथवा संस्था के अनुयायियों के लिए अनुकरणीय होंगे। ये गुरूजनों द्वारा उपदिष्ट साधना, संयम और सदाचार सम्बन्धी आदर्शों एवं उपदेशों के मुख्य प्रचारक एवं संरक्षक होंगे।

इनके द्वारा आदर्श और मर्यादा के विरूद्ध किसी प्रकार से आचरण किया जाना निदंनीय होगा।

संस्था की पवित्र संन्यास–परम्परा में इन्हें इनके राहवरों/गुरूओं द्वारा ट्रस्ट समिति के अनुमोदन के पश्चात दीक्षित किया जायेगा।

भगवा भेषधारी ये साध्वी/संन्यासी ही मठ के संचालन/प्रबन्धन और आध्यात्मिक विषयों के एकमात्र जिम्मेदार होंगे।

(ii) ब्रह्मचारी/जीवनदानी **(Brahmacharins)**

जो पूर्णरूपेण गृहत्याग करके किसी संत के अधीन दरबार की साधना और सेवा में मनसा–वाचा–कर्मणा समर्पित होंगे वे ब्रह्मचारी/जीवनदानी कहे जायेंगे। उनका पहनावा भरसक सफेद होगा।

नियम 19 – संन्यास ग्रहण की अर्हता एवं उसकी प्रक्रिया

जो ब्रह्मचारी/जीवनदानी कम से कम 5 वर्षों से अपने घर–परिवार का ममत्व/सम्बन्ध त्यागकर गुरू दरबार के किसी आश्रम में किसी संत के अधीन सेवा और साधना में समर्पित होंगे वे संन्यास–ग्रहण के योग्य माने जायेंगे।

सर्वप्रथम ऐसे साधक/साधिका के राहवर अथवा गुरू उनका नाम–पता शिक्षा आदि का ब्योरा उनके आचरण की सिफारिश करते हुए महासचिव के पास आवेदन करेंगे।

संन्यास ग्रहण के ऐसे अभ्यार्थी (applicant) को ट्रस्ट समिति के समक्ष बुलाकर उनसे पूछताछ की जायेगी कि वे भक्ति–सेवा–सदाचार, आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए संन्यास ले रहे हैं अथवा सुख–सुविधा और जीविकोपार्जन के लिए? वे अपने किसी निंदित आचरण द्वारा गुरू के पवित्र–भेष का अपमान तो नही करायेंगे? जवाब संतोषजनक पाये जाने पर उन्हें संन्यास–ग्रहण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

गुरू–दरबार के वरिष्ठ संन्यासियों की उपस्थिति में आवेदक के राहवर द्वारा संन्यास दिया जायेगा।

संन्यास–ग्रहण के उपरान्त उन्हें एक प्रतिज्ञा–पत्र भरकर कार्यालय में दाखिल करना होगा तत्पश्चात् उनका नाम गुरू–दरबार की संन्यास–परम्परा में दर्ज किया जायेगा। उन्हें एक परिचय–पत्र भी प्रदान किया जायेगा जिससे प्रमाणित होगा कि वे श्री नंगली–दरबार के साधु/संन्यासी हैं।

संस्था में नामजद संन्यासियों के अतिरिक्त किसी साधु के आचरण तथा कार्यकलाप की जिम्मेदारी संस्था की नही होगी।

नियम 20– मठ/गुरू मंदिर के नियम (Math Rules)

(i) मंदिर–गृह में श्री नंगली निवासी भगवान तथा दादा गुरूदेव श्री परमहंस दयाल जी के स्वरूप ही इष्ट विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित और पूजित होंगे।

अपने राहवरों और गुरूओं की पूजा–प्रतिष्ठा कोई संत/साध्वी अथवा भक्त व्यक्तिगत तौर पर अपने–अपने आश्रमों अथवा आवास–गृहों में कर सकेगा।

(ii) दोनों महान गुरूओं द्वारा उपदिष्ट सुर्त शब्दयोग, गुरूभक्ति–सेवा एवं सदाचार का उपदेश ही यहाँ किया जायेगा।

(iii) उपर्युक्त साधन पद्धतियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मत–पंथ तथा पूजा–पद्धतियों जैसे–मंत्र–तंत्र, भूत–प्रेत, गंडा–ताबीज आदि का प्रचार यहाँ वर्जित होगा।

(iv) कोई बाहरी वक्ता या धर्म–प्रचारक साधु–संत सत्संग हॉल में ट्रस्ट अथवा अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्रवचन नही करेंगे। वे अपने मत–पंथ अथवा पुस्तक/प्रकाशन का प्रचार भी नही करेंगे।

(v) मठ में रह रहे साधु/साध्वी तथा जीवनदानी ब्रह्मचारी को ट्रस्ट समिति द्वारा संस्था की कोई सेवा सौंपी जा सकती है।

(vi) प्रबंधक ट्रस्ट द्वारा संतों/संन्यासियेां एवं साध्वियों के रहने की अलग–अलग आवासीय व्यवस्था की जायेगी। दोनों प्रकार के सदस्यों के ऊपर एक–एक वरिष्ठ संन्यासी/साध्वी अभिभावक होंगे।

आवेदन सं०: 202300732002333

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 29**	**वर्ष: 2023**

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

सुश्री सन्त आधार शब्दानन्द ,
शिष्या स्वामी सार शब्दानन्द पुरी
व्यवसाय : अन्य
निवासी: डब्ल्यू -9 राजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/02/2023 एवं 03:05:22 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नवीन कुमार गुप्ता प्रभारी
उप निबंधक :सरधना
मेरठ
04/02/2023

नवीन कुमार गुप्ता
निबंधक लिपिक
04/02/2023

प्रिंट करें

विशेष परिस्थिति को छोड़कर प्रत्येक संन्यासी और साध्वी को मंदिर की पूजा–प्रार्थना तथा प्रवचन कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना आवश्यक होगा।

(vii) प्रत्येक संन्यासी/साध्वी अपने वरीय संन्यासी/साध्वी का हर तौर से सम्मान और अदब करेंगे। उसी प्रकार ब्रह्मचारी/जीवनदानी, सद्‌गृहस्थ भक्त, दर्शनार्थी आगन्तुक आदि सभी भगवा भेषधारी संन्यासी/साध्वी का श्रद्धा और सम्मान करेंगे। किसी प्रकार से अपने से वरीय संन्यासी/साध्वी/सदस्य का निरादार अथवा अपमान निंदाजनक अपराध माना जायेगा।

(viii) सद्‌गृहस्थ, आगन्तुक, अथवा बाहरी दर्शनार्थी यात्रियों के रहने के लिए आवास (धर्मशाला) का अलग प्रबन्ध होगा।

(ix) मठ परिसर में एक बड़ा स्वागत कक्ष होगा जहाँ एक वैतनिक/अवैतनिक स्वागती हर वक्त बैठा होगा। वह बाहरी दर्शनर्थियों/आगन्तुकों को संस्था सम्बन्धी व्यवहारिक और आध्यात्मिक जानकारी देगा तथा उसमें रहने सहने की व्यवस्था करायेगा।

(x) मठ में रह रहे साध्वी/संन्यासी तथा जीवनदानी भक्तों के अतिरिक्त श्रद्धालुओं तथा आगन्तुक भक्तों के आध्यात्मिक भाव–संवर्धन के लिए प्रतिदिन सत्संग–प्रवचन की कक्षा लगेगी। उसमें कोई विद्वान महात्मा/साध्वी प्रवचन–उपदेश करेंगे। आवश्यकतानुसार कोई विद्वान धर्मज्ञ व्यक्ति भी स्वाध्याय–प्रवचन के लिए नियुक्त किये जायेंगे।

(xi) संतों/ब्रह्मचारियों/जीवनदानियों के ज्ञान–वर्द्धन के लिए संस्था द्वारा एक संस्कृत विद्यालय भी चलाया जायेगा जहाँ भाषा और शास्त्र का बोध कराने के लिए विद्वान शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे।

(xii) मठ द्वारा एक चैरिटेबिल डिसपेन्सरी भी चलायी जायेगी जहाँ सामान्य रोगों की प्राथमिक चिकित्सा सुलभ होगी। उसके लिए मंदिर–प्रबंधन द्वारा दवा और चिकित्सक की व्यवस्था की जायेगी।

(xiii) मठ परिसर में धूम्रपान, जुआ, ताश, चौकड़ अथवा किसी प्रकार का मद्य–सेवन पूर्वतया निषिद्ध होगा।

नियम 21– श्री नंगली साहिब अथवा उससे बाहर 'अद्वैत–स्वरूप' गुरू–परम्परा का कोई मठ अथवा आश्रम किसी संत/साध्वी की देखरेख में संचालित हो रहा होगा तो उसका पंजीकरण ट्रस्ट–कार्यालय में क़राया जाना प्रेय होगा।

नियम 22– ट्रस्ट समाधि – श्री गुरू मंदिर, नंगली साहिब (मेरठ) उ0प्र0 का प्रतीक चिन्ह निम्नानुसार होगा। इसकी नकल (कॉपी) करना अवैध माना जायेगा। ट्रस्ट के सभी रसीद, कागजातों, पत्र–पत्रिकाओं, लेटर–पैड अथवा प्रचार पत्रों आदि पर यह प्रतीक चिन्ह अंकित रहेगा।

आवेदन सं०: 202300732002333

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 29 | वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

सुश्री सन्त आधार शब्दानन्द, शिष्या स्वामी सार शब्दानन्द पुरी

निवासी: डब्ल्यू -9 राजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

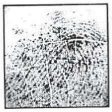

न्यासी: 2

श्री स्वामी ब्रहम धर्मानन्द, शिष्य स्वामी विवेक सुखानन्द जी

निवासी: गुरू मंदिर नंगली साहिब नंगली आजड सलेमपुर तहसील सरधना जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

सुश्री सन्त अमृत शरणानन्द , शिष्या स्वामी गुरू शरणानन्द जी

निवासी: गुरू मंदिर नंगली साहिब नंगली आजड सलेमपुर तहसील सरधना जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

सुश्री सन्त दिव्या नन्द , शिष्या स्वामी गुरू शरणानन्द जी

निवासी: गुरू मंदिर नंगली साहिब नंगली आजड सलेमपुर तहसील सरधना जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नवीन कुमार गुप्ता प्रभारी
उप निबंधक : सरधना
मेरठ
04/02/2023

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

नवीन कुमार गुप्ता
निबंधक लिपिक मेरठ
04/02/2023

प्रिंट करें

(8) तत्काल प्रभाव से ये समस्त नियम/उपनियम सभी सदस्य/सदस्यों, ट्रस्टियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मठ के साधुओं/साध्वियों/ब्रह्मचारियों/जीवनदानियों तथा गृहस्थ श्रद्धालुओं पर लागू होंगे। मठ का संचालन आज से इन्ही नियमों के अनुसार किया जायेगा।

श्री गुरू मंदिर/मठ के संचालन–प्रबंधन से सम्बन्धित कोई नियम अथवा उपनियम सेवा समिति/समितियाँ पूर्व में यदि कभी गठित की गई होंगी तो आज की तिथि से उन्हें निष्प्रभावित/निरस्त माना जायेगा।

इन नियमों/नियम के किसी अंश का उल्लंघन अवैध माना जायेगा।

(9) भविष्य में ट्रस्ट समिति यदि महसूस करेगी कि उपर्युक्त निबंधित नियमों में कोई परिवर्तन, संशोधन, अभिवर्द्धन अथवा विस्थापन अपेक्षित है तो संशोधन का प्रारूप ट्रस्ट–सदस्यों द्वारा बहुमत से पासकर महासभा के अनुमोदन के पश्चात इन नियमों में शामिल किया जाएगा।

यह विलेख पृष्ठ संख्या **1** से **15** तक स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1ख के अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत निबन्धन के लिये पेश किया जाता है। जिसके लिये नियमानुसार रूपये 750/– का ई–स्टाम्प IN-UP-25274034894289V (दिनांकित 03.02.2023) अदा किया गया है।

आज दिनांक 04.02.2023 को यह विलेख प्रतिनियुक्ति पत्र स्वस्थ चित्त, मन, बुद्धि एवं इन्द्रियों की दशा में बिना किसी मादक पदार्थ के सेवन किये अथवा बिना किसी जोर–जबरदस्ती अथवा प्रभाव के लिख दिया गया है ताकि समय पर काम आवे।

दिनांक :– 04.02.2023

न्यासकर्ताओं के हस्ताक्षर

आचार्य शब्दानन्द

Pradeep Kumar Tyagi
DEED WRITER
BARDHANA (MEERUT)

Sar Divyanand

सन्त अमृत शरणानन्द
शिष्या स्वामी गुरुशरणानन्द जी
निवासी गुरु मन्दिर नंगली साहिब
नंगली आजड सलेमपुर
तहसील सरधना (मेरठ)

सन्त दिव्यानन्द
शिष्या स्वामी गुरुशरणानन्द
जी निवासी गुरु मन्दिर
नंगली साहिब नंगली आजड
सलेमपुर तहसील सरधना (मेरठ)

आवेदन सं०: 202300732002333

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 87 के पृष्ठ 399 से 428 तक क्रमांक 29 पर दिनाँक 04/02/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नवीन कुमार गुप्ता प्रभारी
उप निबंधक : सरधना
मेरठ
04/02/2023

प्रिंट करें